अंजे अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

पीसांगन

244/2019/अपील हरजी बनाम जितेन्द्र सिंह

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	2019/00	GA-2
	श्री एल.के. जैन श्री मधुपुरी गोस्वामी	

24.9.19

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 21 जा0दी0 हेतु पेश हुई । विद्वान वकील आवेदनकर्ता/रेस्पो0 संख्या 1 का कथन है कि अपीलाधीन भूमि में 3/4 हिस्सा आवेदनकर्ता/रेस्पो0 का एवं 1/4 हिस्सा अप्रार्थी/अपीलांट का है । अधी0न्यायाा0 द्वारा दोनों पक्षों की उपस्थिति में एवं सहमति से बंटवारे की अंतिम डिक्री दिनांक 20.9.2013 को पारित की गई परन्तु प्रतिवादी/अपीलांट हरजी के द्वारा मान0 न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 133/2018 पेश की गई जिसके कोई भी नोटिस अथवा सम्मन आवेदनकर्ता/रेस्पो0 को प्राप्त नहीं हुए क्योंकि आवेदनकर्ता/रेस्पो0 संख्या 1 दिनांक 8.6.2018 से दिनांक 12.6.2018 तक ग्राम पीसांगन में नहीं रहा बल्कि इस अवधि में गुड़गांव–हरियाणा में अपने माता–पिता के पास गया हुआ था । तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट दिनांक 11.6.2018 गलत है तथा तामील कुनिन्दा द्वारा आदेश 5 नियम 16 व 18 जा0दी0 की पालना नही की गई । आदेश 5 नियम 16 के अनुसार जहां तामील करने वाला अधिकारी सम्मन की प्रति स्वंय को या निमित्त अभिकर्ता को या किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त करता है तो निविदत करता है वहां जिस व्यक्ति को प्रति ऐसे परिदत या निविदत की गई हो उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह मूल सम्मन तक पृष्ठांकित की अभिस्वीकृति पर अपने हस्ताक्षर करे तथा नियम 18 जिसमेमं तामील करने के समय रीति का पृष्ठांकन–व्यक्ति को जिस पर तामील की गई है पहचाना और जो सम्मन के परिदान या निविदान का साक्षी रहा था उसका नाम व पता कथित करने वाली विवरणी मूल सम्मन पर पृष्ठांकित करेगा या करायेगा या मूल सम्मन में उपाबद्ध करेगा या करायेगा । तामील कुनिन्दा कोई पालना नहीं की गई है। परन्तु तामील कुनिन्दा की गलत रिपोर्ट के आधार पर हाजा न्यायालय आवेदनकर्ता/रेस्पो0 के विरूद्ध एकतरफा निर्णय दिनांक 27.11.2018 को पारित कर दिया जिसमें प्रार्थी को कोई सुनवाई का अवसर नहीं मिला । इस कारण प्रार्थी/रेस्पो0 का आवेदन स्वीकार कर एकपक्षीय निर्णय दिनाक 27.11.2018 को अपास्त किया जावे एवं प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे ।

जवाब में विद्वान वकील अपीलांट/अप्रार्थी का कथन है कि तामील कुनिन्दा द्वारा विधिनुसार सम्यक रूप से आवेदनकर्ता को तामील कराई गई है। आवेदनकर्ता/रेस्पो0 को अपील की पूर्ण जानकारी थी इसके बावजदू भी जानबूझकर उपस्थित नही हुआ इस कारण मान0 न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांक 27.11.2018 विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है ।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हाजा न्यायालय की अपील पत्रावली 133/2018 में उपलब्ध नोटिस दिनांक 20.6.2018 जो आवेदनकर्ता/रेस्पो0 संख्या 1 को जारी किये गये थे, का अवलोकन किया गया । उक्त नोटिस पर आवेदनकर्ता/रेस्पो0 संख्या 1 जितेन्द्र को किसकी उपस्थिति में नोटिस तामील कराया गया उसका नाम, पता व समय अंकित नहीं किया गया है । जबकि आदेश 5 नियम 16 व 18 के अनुसार यह आवश्यक है कि तामील कुनिन्दा द्वारा सम्मन/नोटिस जिस साक्षी की उपस्थिति में तामील करवावे उसका नाम–पता व समय अंकित करना आवश्यक है । तामील कुनिन्दा द्वारा उक्त आज्ञापक प्रावधान की पालना नहीं की है । तामील की गलत तामील रिपोर्ट के आधार पर हाजा न्यायालय द्वारा आवेदनकर्ता/रेस्पो0

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार

चीसांगान

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

२४४/१९/प्रा-पत्र हरजी बनाम जितेन्द्र सिंह

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	२०१९/१००२४४	
	श्री ... श्री ... गोस्वामी	
...	संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है जो प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।	
	अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदनकर्ता/रेस्पो0 संख्या 1 के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 21 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है तथा हाजा न्यायालय द्वारा अपील संख्या 133/2018/223 (2018/00133) बउनवान हरजी बनाम जितेन्द्र व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2018 को अपास्त किया जाता है तथा अपील को पुनः नंबर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है । अधी0न्याया0 की पत्रांवली पुनः तलब की जाकर पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 14.10.19 को पेश हो।	
	राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	